

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर— 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comose www.jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086



क्रमांक:- 135

दिनांक:- 20/4/21

:: ई-विड सूचना संख्या: जोन-दक्षिण 2 / 2021-22 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में अनुभवी एवं उपयुक्त श्रेणी(सिविल) में पंजीकृत संवेदकों जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो (विडर्स पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाइन विड आमत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। विड सिक्युरिटी के रथान पर विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 अनुसार निर्धारित प्रारूप में 50/- रु के स्टाम्प ड्युटी की राशि पर सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम विड सिक्युरिटी घोषणा पत्र प्रस्तुत करनी होगी। विड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार Online SSO ID के माध्यम से जमा करना आवश्यक है:-

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	विड की क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑन लाइन विड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 22.04.2021 AM 9.30 बजे से
2	ऑन लाइन विड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 03.05.2021 PM 6.00 बजे तक
3	ऑन लाइन विड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 22.04.2021 AM 9.30 बजे से
4	ऑन लाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 03.05.2021 PM 6.00 बजे तक
5	विड शुल्क, विड प्रक्रिया शुल्क, ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 03.05.2021 PM 6.00 बजे तक
6	ऑनलाइन विड खोलने की दिनांक व समय	1 से 1	दिनांक 04.05.2021 PM 4.00 बजे

विड का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं	कार्य का नाम	कार्य की अनुमति लागत (लाखों में)	Bid Securing Declaration	विड शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दोष निवारण अवधि	जोन कार्यालय
1.	शास्त्री सर्कल पर लॉन, पैड पीप्डे का रखरखाव सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई सुरक्षा का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध 2021-22)	28.51	0	500	36 माह	6 माह	दक्षिण

विड की महत्वपूर्ण शर्त निम्नानुसार है—

- विड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को विड को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- विड की प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- विड हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी—(सिविल कार्यों हेतु)

किसी भी सीमा तक:	एए श्रेणी संवेदक
रूपये 300.00 लाख तक:	ए श्रेणी संवेदक
रूपये 150.00 लाख तक:	बी श्रेणी संवेदक
रूपये 50.00 लाख तक:	सी श्रेणी संवेदक
रूपये 15.00 लाख तक:	डी श्रेणी संवेदक

- विड खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष विड खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- विड प्रक्रिया—

कार्य	पोर्टेशियल असेसमेंट	पोर्ट व्हालीफिकेशन	प्री व्हालीफिकेशन
सड़क निर्माण कार्य	300 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 100 करोड़	100 करोड़ से अधिक
भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	200 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 50 करोड़	50 करोड़ से अधिक

- विडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार विड खोले जाने के समय से पूर्ण जरिये ऑनलाइन SSO ID ऑनलाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है—

क्र. सं	शुल्क विवरण	शुल्क	बुगतान का प्रकार	देय
1	विड प्रपत्र शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से	साथेवा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2	विड सुरक्षा राशि	संचित जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम विड सिक्युरिटी घोषणा पत्र	SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY FOR E-TENDERING के माध्यम से	साथेवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-विड प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-		MD RISL, JAIPUR

- प्रदत्त दरे विड खोलने की दिनांक से 50 विक्सों तक विड स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि विडर्स उक्त अवधि में अपनी विड अधिक शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी विड वापस ले लेता है, तो उसकी विड सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।
- यदि संवेदक के नजदीकी रिश्वतदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खाप्तीय लेखाकार अथवा सहायक अग्रिमों से लेकर अधीक्षण अभियंता रासर का किसी भी स्तर पर पदवर्धन प्राप्त हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिवृक्ष रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अग्रिमात्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा नियुक्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के लिए में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारीयों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लियत अनुमति विड जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रखद किया जा सकेगा।
- विडर्स को विड गर्ते समय साथ में विड शुल्क, विड सिक्युरिटी घोषणा पत्र ई-एप्लिकेशन शुल्क, Enlistment certificate, GST Ragistration की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जो विड प्रपत्र में ताके गये से Scan कर लगाना अनियाय है।

11. किसी भी विड को स्वीकार करने एवं विना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। **RPWA** 200 की समस्त शर्तें उस सीमा तक मात्र/लागू होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम रूप में देव होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल.के पक्ष में व जोधपुर में ऑनलाइन भुगतान योग्य होना चाहिये।
13. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

विड शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है—

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
500 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000

14. **RTPP Act/Rules** के समस्त प्रावधान उपरोक्त विड पर लागू होगे।
15. विड प्रपत्र के साथ सलान परिशिष्ट ए से डी पर संवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
16. विड में जॉइंट वेन्चर स्वीकृत नहीं है।
17. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में परिशिष्ट XVI के अनुभाग-II के अनुसार ही प्राधिकरण में विड में भाग लें सकेंगे।
18. विड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 अनुसार विड सिक्युरिटी के संबंध में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण को नाम घोषणा पत्र देना होगा। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 सप्तित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्युटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्युटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सर्वार्ज देय है।
19. ई-टेंडरिंग के लिए विडर्स हेतु निर्देश—
- इन विड में दिलचस्पी लेने वाले विडर्स विड प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/डाउनलोड कर सकते हैं।
 - विड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। औन लाइन विड में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट टेम्पोलोजी एवं 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक विड में साईन करने हेतु काम आयेगा। विडर्स उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विडर्स के पास पूर्ण में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट हैं, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - विडर्स को विड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकृत नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक विड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की विड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कोंपी विड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
 - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - विड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।

अधिकारी अभियंता (जोन-दक्षिण)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक अभियंत्री, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी प्रधम/हितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी/प्रधम/हितीय/तुतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
- अधिकारी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/आर.ओ.सी./पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
- कैशियर / नोटिस बोर्ड।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) कर।
- ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन / ठेकेदार संघ सिवील जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार संघ/

अधिकारी अभियंता (जोन- दक्षिण)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

1